अजमेर 165/15/273

रामदेव बनाम कन्हैया लाल

तारीख पेशी	बनाम हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर श्री .... श्री	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28.12.18	पत्रावली आज आवेदन पत्र पर पेश हुई । पक्षकारान द्वारा आवेदन पत्र बाबत् लोक अदालत की भावना के पक्षकारान के मध्य समझौता हो चुका है इस कारण उपरोक्त अपील विड्रो/नोटप्रेस में निरस्त किये जाने के संदर्भ में प्रस्तुत कर कथन किया कि राजस्व वाद संख्या 141/1984 (88/1986) (18/88) रामदेव व अन्य बनाम नाथू व अन्य जो कि अपीलाधीन भूमि के संदर्भ में पूर्ववत् राजस्व वाद हक खातेदारी की घोषणा स्थायी निषेधाज्ञा के संबंध में प्रस्तुत किया गया जिसे भी वादीगण के द्वारा विड्रो/नोटप्रेस में निरस्त कराये जाने हेतु न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है तथा यह भ कथन किया कि अपीलाधीन भूमि खाता संख्या 975 के खसरा नंबर 6870 रकबा 0–8–10, खसरा नंबर 6871 रकबा 1–5–10 एवं खसरा नंबर 6882 रकबा 0–13–10 एवं खसरा नंबर 6886 रकबा 3–10–0 समस्त किस्म बारानी–1 एवं खसरा नंबर 6867 रकबा 2–12–00 किस्म बारानी दोयम एवं खसरा नंबर 6884 रकबा 2–6–0 एवं खसरा संख्या 6885 रकबा 2–9–0 समस्म किस्म चाही–तृतीय जो ग्राम थोक मालियान, अजमेर में स्थित है से हम वादीगण/अपीलांटस रामदेव पुत्र प्रताप, हीरालाल पुत्र प्रताप, छुट्टन पुत्र प्रताप, कमला पुत्री प्रताप, राधा पुत्री प्रताप, लीला पत्नि सुन्दरलाल , किशनलाल पुत्र सुन्दरलाल का उपरोक्त वादीगण/अपीलांटस का उपरोक्त अपीलाधीन भूमि से उनका एवं उनके वारिसान का किसी प्रकार से कोई हित, अधिकार निहित नहीं रहा है एवं न है एंव ना ही कब्जा है तथा भविष्य में भी किसी प्रकार का उक्त अपीलाधीन भूमि के संबंध में हम अपीलांटस एवं हमारे वारिसान के द्वारा कोई वाद–विवाद नहीं किया जावेगा । इस संबंध में पक्षकारान के मध्य समझौता हो चुका है तथा नाथू के केतागण अपीलाधीन भूमि पर बतौर खातेदार काश्तकार काबिज है । उपरोक्त अपील में समझौता होने से अपीलांटस उक्त अपील को चलाना नहीं चाहते है इसलिये अपील को नोटप्रेस में विड्रो/निरस्त किये जाने के आदेश प्रदान करे । हमनें पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र प्रस्तुत होने पर पत्रावली आज ही तलब कर पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र बाबत् अपील विड्रो/नोटप्रेस में खारित किये जाने एवंसमझौता दिनांक 28.12.2018 एवं संलग्न राजीनामा की छाया प्रति एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अतः उपरोक्त आवेदन पत्र के अनुसार अपीलांटस पक्षकारान के मध्य समझौता होने से अपील नहीं चलाना चाहते है । अतः अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र बाबत् अपील विड्रो/नोटप्रेस में खारिज किये का स्वीकार कर अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत अपील नोटप्रेस किये जाने से निरस्त	कामता अंगूठा निशानी हीरालाल

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

अजमेर
165/15/223

रामदेव बनाम सहीराम लाल

तारीख पेशी	बनाम हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर श्री ....श्री	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
लगातार	की जाती है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। 28/12/18	